

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, जयपुर

क्रमांक: एफ 7(2)(2) प्रवेश/राछा./सान्याअवि/2020/ 28

जयपुर, दिनांक: 18/6/2020

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 28492 दिनांक 18.05.2020 के द्वारा राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने हेतु विद्यालय स्तरीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की अन्तिम तिथि 18 जून, 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 30 जून, 2020 निर्धारित की गई थी।

राजकीय छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों प्रवेश की समीक्षा की गई, समीक्षा के दौरान प्रवेश में कमी को देखते हुये राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 में प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि विद्यालय स्तरीय छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की अन्तिम तिथि 18 जून, 2020 को बढ़ाकर 30 जुलाई, 2020 एवं महाविद्यालय स्तरीय कन्या छात्रावासों की अन्तिम तिथि 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 15 अगस्त, 2020 की जाती है।

इसी प्रकार छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की वरीयता सूची निम्नानुसार जारी की जायेगी :-

सूची का विवरण	पूर्व में निर्धारित दिनांक	संशोधित दिनांक
प्रथम सूची	19.06.2020	01.07.2020
द्वितीय सूची	27.06.2020	15.07.2020
तृतीय सूची	07.07.2020	25.07.2020
चतुर्थ सूची	15.07.2020	16.08.2020 (केवल कॉलेज स्तरीय छात्रावास)

27/6/20
(द्वारका प्रसाद गुप्ता)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 18/6/2020

क्रमांक: एफ 7(2)(2) प्रवेश/राछा./सान्याअवि/2020/29-41
प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर (समस्त).....।
5. निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (छात्रवृत्ति एवं छात्रावास), मुख्यावास।
6. अतिरिक्त निदेशक (देवनारायण), मुख्यावास।
7. उप निदेशक (राईस), मुख्यावास।
8. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), मुख्यावास को भेजकर निवेदन है कि वे उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट एवं प्रवेश पोर्टल पर उक्तानुसार प्रावधान करवाने का श्रम करावे।
9. उप निदेशक/सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,.....।
10. प्रधानाचार्य, आवासीय विद्यालय (समस्त).....।
11. उप निदेशक (प्रचार), मुख्यावास।
12. सहायक निदेशक (छात्रावास), मुख्यावास।
13. आदेश पत्रावली।

17/06/2020
(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)